

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार,

संख्या- प्राविद्यपरिवद सम्बद्धता/2023/12660001

संलग्नक दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय कार्य:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्योत्री कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैडिल सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विचार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्योत्री कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विचार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित घटकों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उपर्यक्त अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का बौद्धिक एवं नाम : 2082-NAMOH COLLEGE

क्रमिक	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/रजिस्ट्रेशन/पैरालील/आई द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु पूर्व

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभव-3 उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 319/80-33559/2022 पीसीओ-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित करना संस्थाओं की ओर से डिप्लोमा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में संशोधित किए गए पाठ्यक्रम 2023/2023 में मानवीय आधारित के अधीन निर्धारित के अधीन उपर्यक्त निर्देश की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्योत्री कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित की गयी सभी कार्य का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्योत्री कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली के आदेश के अनुक्रम संस्था में साक्षात् बरतान (मूवि, नवन, रीन उपकरण) अदि बरतान है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विधिवानुसरी 1982, विधिवानुसरी-2008, वैकल्पिक विधिवानुसरी-2018 एवं उपाय-सामय पर निर्मित कार्यवाही के आ अनुमोदन करेगी तथा मुख्य निर्देश समिति द्वारा निर्देशित मुख्य की प्रत्येक कार्यवाही से उत्तर दिया जाएगा। उपरोक्त के अधिकांक कार्यवाही से उत्तर के सम्बन्ध में समय-समय पर साक्षात् उत्तर भिजि किये जाने की आवश्यकता प्रकटी होगी, और अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। साथ निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परीक्षा की व्यवस्था दो वर्षों की होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित कार्यवाही के अनुसार निर्देश एवं सम्बद्धता प्राप्त करना करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विधिवानुसरी-अधिकांक/विधिवानुसरी-2018/2018/2023/2023 के अधिकांक, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/कार्योत्री कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी गये निर्देश, निर्देशन, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यवाही करेगी।
- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्योत्री कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन विचार किया जाता है तो उस प्रवेश में संस्था उपर्यक्त संस्था का होना और निर्देशक एवं से विदेशी को कार्यवाही के लिए संस्था सर्वे उपर्यक्त होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विवेकायन एवं प्राविधिक शिक्षा विचार प्रदान प्रवेश प्रदान के निम्नलिखित कार्य उत्तर प्रदान किया जाता है तथा साक्षात् उत्तर के संबंध में सा, कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की अपील/संबंधी आदेश निर्देश किया जाता है तो संस्था उपर्युक्त निर्देशित कार्य को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित एवं दिए गए निर्देश परीक्षा हेतु कार्यालय/कार्योत्री कार्यालय को उत्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्योत्री कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/कार्योत्री कार्यालय को उपर्यक्त


PRINCIPAL
NAMOH COLLEGE
 Namoh, Tehsil, Pilibhit (U.P.)

होव अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रविधिक शिक्षा के पुनरावलोकन पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

संस्था को शिक्षण-प्रविधिक हेतु उपयुक्त कक्षावर्षण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग सेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संशोधित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्ध उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जात है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाय) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत्ति 10-आई0-सी0टी0ई0/पी0बी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुसं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, NANDINI COLLEGE

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

PRINCIPAL
NANDINI COLLEGE

Village-Turkuli, Post-Nawabganj
GONDA, U.P. - 271303